सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय | SOBAN SINGH JEEN

पत्रांकःसो0सिं0जी0 / सं0बी0एड0–2026–27 / मा0 / 2235 दिनांक–23 जुलाई 2026

(उत्तराखण्ड राज्य संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा–2026–27)

(UTTARAKHAND STATE COMBINED B.Ed. ENTRANCE TEST - 2026–27)

उत्तराखण्ड के राज्य विश्वविद्यालयों (सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल एवं श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल) से सम्बद्ध समस्त राजकीय / अशासकीय महाविद्यालयों / स्ववित्त पोषित में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम से युक्त शिक्षण संस्थानों में सत्र 2026–2028 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक–16.08.2026 को गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर निम्नलिखित विवरणानुसार किया जायेगा–

01	ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक– 24 जुलाई 2026
02	ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण की अन्तिम तिथि	दिनांक– 07 अगस्त 2026
03	प्रवेश पत्र डाउनलोड की तिथि	दिनांक– 11 से 15 अगस्त 2026
04	प्रवेश परीक्षा की तिथि	दिनांक– 16 अगस्त 2026
05	उत्तरकुंजी अपलोड करने की	दिनांक– 17 अगस्त 2026
06	आपत्तियां उत्तरकुंजी समाधान तिथि	दिनांक– 18 से 20 अगस्त 2026
07	प्रत्याशित परिणाम घोषणा की तिथि	दिनांक– 23 अगस्त 2026
08	काउंसलिंग हेतु पंजीकरण की तिथि	दिनांक– 25 से 28 अगस्त 2026
09	काउंसलिंग की अपेक्षित तिथि	दिनांक– 01 सितम्बर 2026
	प्रवेश परीक्षा शुल्क विवरण	
01	सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / ई0डब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	रू0 1675.00 / –
02	अनु0जाति / अनु0 जनजाति / दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु	रू0 1150.00 / –
	काउंसलिंग शुल्क का विवरण निम्नानुसार होगा	
01	सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / ई0डब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	रू0 785.00 / –
02	अनु0जाति / अनु0 जनजाति / दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु	रू0 470.00 / –
	कुल शुल्क का विवरण	
01	सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / ई0डब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु कुल शुल्क का भुगतान	रू0 2460.00 / –
02	अनु0जाति / अनु0 जनजाति / दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु कुल शुल्क का भुगतान	रू0 1620.00 / –

प्रवेश परीक्षा शुल्क प्रवेश परीक्षा आवेदन भरते समय जमा होगा तथा काउंसलिंग शुल्क पृथक से काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व जमा किया जाएगा। बी0एड0 सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वैबसाईट **https://ukentrance.samarth.edu.in** से प्राप्त कर सकते हैं। समर्थ पोर्टल पंजीकरण शुल्क के लिए 50.00 (पचास रू0) अतिरिक्त50.00 (पचास रू0) शामिल किए गए है।

कुलसचिव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलसचिव, कु0 वि0वि0, नैनीताल एवं एस0डी0एस0 वि0वि0, टिहरी गढ़वाल।
2. परीक्षा नियन्त्रक, सो0सिं0जी0वि0वि0, अल्मोड़ा, कु0वि0वि0, नैनीताल एवं एस0डी0एस0 वि0वि0, टिहरी गढ़वाल।
3. वित्त अधिकारी, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
4. निजी सचिव कुलपति जी को, मा0 कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
5. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, राज्य नोडल अधिकारी, समर्थ पोर्टल, उत्तराखण्ड।
6. श्री अभिषेक, समर्थ नोडल नई दिल्ली को इस आशय के साथ वे प्रदत्त समयसारिणी अनुसार समर्थ पोर्टल में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

कुलसचिव।

UTTARAKHAND STATE COMBINED B.ED. ENTRANCE TEST

2026-27

(Soban Singh Jeena University, Almora, Kumaun University, Nainital
& Sri Dev Suman Uttarakhand University, Tehri Garhwal)

Infromation Brochure/Bulletin for

B.ED ENTRANCE EXAMINATION

2026–2027

विवरणिका

बी0एड0 प्रवेश परीक्षा

2026–2027

आवश्यक दिशा–निर्देश

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन पद्वति से भरा जायेगा तथा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखी जानी है जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2026–27 के लिये प्रवेश परीक्षा केन्द्र के शहर

01–श्रीनगर	02–कर्णप्रयाग	03–अगस्तमुनि
04–नईटिहरी	05–उत्तरकाशी	06–कोटद्वार
07–देहरादून	08–रूड़की	09– ऋषिकेश
10–हल्द्वानी	11–काशीपुर	12–खटीमा
13–रूद्रपुर	14–नैनीताल	15–रामनगर
16–बागेश्वर	17–अल्मोड़ा	18– द्वाराहाट
19–चंपावत	20–पिथौरागढ़	

1. **नोटः**–प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीतालएवं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा द्वारा किया जायेगा, केन्द्रों की संख्या न्यूनतम रखने का प्रयास किया जायेगा और परीक्षा केन्द्र उन्हीं संस्थाओं को बनायाजायेगा, जिनकी स्वच्छ परीक्षा की ख्याति रही होगी। यदि उपरोक्त परीक्षा स्थलों के किसी 01 परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम या ज्यादा होगी तो उस परीक्षा केन्द्र को आवश्यतानुसार निकटस्थ परीक्षा केन्द्र में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम

	प्रश्न पत्र का नाम	अवधि	अधिकतम अंक	अनिवार्यता
Paper-1	A-Language Test (*Hindi or English) भाषा ज्ञान परीक्षण (हिन्दी अथवा अंग्रेजी)	01:30 घन्टे	50 अंक (50 प्रश्न)	अनिवार्य
	B-General Knowledge & Reasoning सामान्य ज्ञान एवं तर्कशक्ति परीक्षण		50 अंक (50 प्रश्न)	अनिवार्य
Paper -2	A-Teaching Aptitude अध्यापन योग्यता	01:30 घन्टे	50 अंक (50 प्रश्न)	अनिवार्य
	B-Optional Subject Aptitude Test वैकल्पिक विषय योग्यता परीक्षण		50 अंक (50 प्रश्न)	वैकल्पिक**

*विद्यार्थी को हिन्दी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में से किसी एक को चुनना होगा।
**प्रत्येक परीक्षार्थी निम्नांकित में से किसी एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र में सम्मिलित होगा–

1. कला वर्ग (Arts Group)
2. वाणिज्य वर्ग (Commerce Group)
3. विज्ञान वर्ग (Science Group)

परीक्षा में सफल होने के लिये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को परीक्षा में दोनों प्रश्न–पत्रों को मिलाकर 40 प्रतिशत अर्थात कुल 80 अंक लाना अनिवार्य होगा तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को परीक्षा में दोनो प्रश्न–पत्रों को मिलाकर 27 प्रतिशत अर्थात कुल 54 अंक लाना अनिवार्य होगा।

नोटः–

1. विद्यार्थी को दोनो प्रश्न–पत्रों (**Paper1 & Paper2**) में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। किसी एक प्रश्न–पत्र में सम्मिलित न होने की दशा में उसका परीक्षाफल घोषित नहीं किया जायेगा।
2. प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को एक अंक प्रदान किया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी ऋणात्मक अंक (**Negative narking**) नहीं दिया जाएगा।

बी0एड0 प्रवेश परीक्षा शैक्षिक सत्र 2026–28 (दो वर्षीय)

1. आवश्यक निर्देश (Important Instruction)

अभ्यर्थी आवेदन भरने से पूर्व आवेदन पत्र एवं इस विवरणिका में अंतिम निर्देशों एवं नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। बी0एड0 कक्षा में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के पास राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा द्वारा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होना अनिवार्य है।

2. अवधि

बी0एड0 कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्ष (04 सैमेस्टर) की अवधि का होगा। तथापि कोई अभ्यर्थी इस कार्यक्रम को प्रवेश से लेकर अधिकतम तीन वर्ष/छः सैमेस्टर तक पूर्ण कर सकता है।

3. कार्य दिवस

3.1 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार NCTE/UGC द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों में पठन–पाठन हेतु उपस्थिति अनिवार्य होगी।

3.2 सभी पाठ्यक्रमचर्यात्मक कार्य तथा प्रायोगिक कार्य के लिये छात्र–अध्यापकों हेतु न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत होगी तथा स्कूलबद्ध प्रशिक्षण के लिये न्यूनतम उपस्थिति की सीमा 90 प्रतिशत होगी।

4. पात्रता (Eligibility)

4.1 परीक्षार्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा जारी नवीनत्म प्रवेश नियम 3.2 को पूर्ण करता है इसके अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थी को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ तक कि 49.99 प्रतिशत को 50 प्रतिशत नहीं पढा जायेगा। इसके अतिरिक्त इंजिनियरिंग, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

4.2 उत्तराखण्ड राज्य के आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रवेशार्थी को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ तक कि 44.99 प्रतिशत को 45 प्रतिशत नहीं पढा जायेगा। उक्त अर्हता पूर्ण न किये जाने पर ऑनलाईन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त इंजिनियरिंग, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

विद्यार्थी को हिन्दी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में किसी एक को चुनना होगा।

* बी0एड0 पाठ्यक्रम पूर्णरूप से नियमित पाठ्यक्रम (Regular Course) है। अतः उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले समस्त अभ्यर्थी एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु अर्ह होगा। यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी के एक सत्र में दो पाठ्यक्रमों (क्रमशः–नियमित अथवा व्यावसायिक) (Regular & Professional Course) में प्रवेश एवं अध्ययन की सूचना प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
* बी0एड0 पाठ्यक्रम पूर्णरूप से नियमित पाठ्यक्रम (Regular Course) है। यदि कोई सेवारत अभ्यर्थी उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का इच्छुक हो तो उसे काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate) प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात ही ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किया जायेगा।

* ऐसे विद्यार्थी जोकि अर्हता परीक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर) के अन्तिम वर्ष/सैमेस्टर में सम्मिलित हो रहे हैं (Students Appearing in the final year of Eligibility Examination) को भी इस प्रतिबन्ध के साथ ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अनुमति प्रदान की जाती है कि विद्यार्थी को बी0 एड0 कक्षा में प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग से पूर्व अपनी अंकतालिका (प्राप्त अंकों का विवरण) प्रस्तुत करना होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण किये जाने की दशा में ही उसका अभ्यर्थन अनुमन्य होगा। न्यूनतम अर्हता पूर्ण न किये जाने की स्थिति में उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया प्रवेश परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

4.3 यदि किसी प्रवेशार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा वह दण्डित किया गया हो तो वह प्रवेश का पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में इस बारे में सूचित करें। यदि इस सूचना को जानबूझ कर छिपाया जाता है तो भविष्य में जानकारी होने पर प्रदत्त प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

4.4 जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा सी0जी0पी0ए0 (CGPA) आधारित अंक पत्र निर्गत किये गये हों, उन अभ्यर्थियों के अंको की गणना विश्वविद्यालय के मानकानुसार सी0जी0पी0ए0 (CGPA) को प्रतिशत अंको में बदलते हुये की जायेगी। इसका अंकपत्र/प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वैबसाईट पर अपलोड करना आवश्यक होगा तथा काउन्सलिग के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

5 प्रवेश हेतु आरक्षण (Reservation)

. 5.1 अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आरक्षण श्रेणी हेतु आवेदन पत्रों में उस श्रेणी को भरें जिस श्रेणी के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण श्रेणी का दावा मान्य नहीं होगा।

5.2 आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है–

क.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	14 प्रतिशत
	अनुसूचित जाति (SC)	19 प्रतिशत
	अनुसूचित जनजाति (ST)	04 प्रतिशत
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, देहरादून दिनांक– 07 मार्च 2015 के अनुसार स्वीकृत सीटों में से ही 10 प्रतिशत

नोटः–केवल उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछ़डी जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु इस श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अद्यतन अवधि का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश के अनुसार क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार देय होगा तथा यह आरक्षण केवल उत्तराखण्ड के निवासियों हेतु होगा–

ख.	दिव्यांग (Disabled)	05 प्रतिशत
	महिलायें (Women)	30 प्रतिशत
	भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) (Ex-Army Personnel)	05 प्रतिशत
	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (Dependents of Freedom Fighter)	02 प्रतिशत

5.3 आरक्षण श्रेणी का लाभ केवल आधिकारिक प्रारूपों पर प्राप्त प्रमाणपत्रों पर ही दिया जाएगा। पृथक से भाषावद्ध प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी का प्रमाणपत्रों की जांच के समय संज्ञान लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा।

5.4 अनाधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होंगे जो कि नियमों एवं मानकों के अनुसार नहीं हैं।

5.5 दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। चर्मरोग से ग्रसित, हकलाने वाले, मूक–बधिर अभ्यर्थी इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन न करें। इनके प्रवेश पर कोई विचार सम्भव नहीं होगा।

5.6 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जाँच तथा प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे।

5.7 भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) प्रवेशार्थी, सम्बन्धित कमाडिंग ऑफीसर/सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जाँच के समय प्रस्तुत करने पर ही वांछित लाभ के पात्र होंगे।

* **उत्तराखण्ड शासन द्वारा तथा एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा–निर्देशों को लागू किया जायेगा।**

6. <u>अन्य निर्देश</u>

6.1 ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय या किसी संस्थान में जमा नहीं होगी। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा काउन्सिलिंग के समय समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र तथा अधिभार प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। परीक्षा शुल्क चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है।

6.2 बी0एड0 प्रवेश परीक्षा–2026–27 आवेदन को सावधानीपूर्वक भरें तथा सम्बन्धित वर्ग एवं श्रेणी पर तद्नुसार अंकित करें, किसी भी त्रुटि के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

6.3 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन पत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार ही सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, इसी प्रकार अधिमान अंको हेतु भी प्रमाण पत्र का प्रारूप इस विवरणिका में दिया गया है। इस प्रकार के सभी प्रमाण पत्र आवेदन पंजीकरण के पूर्व निर्गत होने आवश्यक हैं।

6.4 ऑनलाईन आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र की फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी।

6.5 ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरान्त कोई भी अधिभार अंक सम्बन्धी अथवा कोई भी अन्य प्रमाण पत्र का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6.6 बी0एड0 प्रशिक्षण में एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानान्तरण अनुमन्य नही है। जिस संस्थान में प्रवेश आवंटित होगा उसी महाविद्यालय से बी0एड0 पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। कोई प्रशिक्षणार्थी स्थानान्तरण हेतु आवेदन न करें।

6.7 किसी भी अभ्यर्थी का वर्ग (Category) परिवर्तित नहीं होगा। अभ्यर्थी ने जिस वर्ग को ऑनलाईन आवेदन पत्र पर अंकित किया है उसका वर्ग वही सही होगा।

6.8 अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने अल्पसंख्यक समुदाय का वर्ग लिखें, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, इसाई आदि।

6.9 बी0एड0 कक्षा में प्रवेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा अभ्यर्थी आवेदन भरने से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना सुनिश्चित करें।

6.10 यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र जाली/फर्जी पाये गये तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द करने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा, तथा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

6.11 किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा, और न ही आगामी प्रवेश परीक्षा हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

6.12 यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त किये बिना सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

6.13 जिन अभ्यर्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं इण्टरमीडिएट स्तर तक अंग्रेजी विषय लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह माने जायेंगे।

6.14 इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्णअभ्यर्थी बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह है।

6.15 जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक उपाधि अन्य राज्यों के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो उन्हे अन्य राज्य वर्ग में रखा जायेगा। परन्तु उत्तराखण्ड निवासी ने यदि स्नातक उपाधि अन्य राज्यों के किसी विश्वविद्यालय सेप्राप्त की है तो उत्तराखण्ड राज्य वर्ग में रखने हेतु सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण पत्र प्रवेश फार्म के साथसंलग्न करना आवश्यक है।

6.16 आवेदन पत्र पर संलग्न समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां स्वयं हस्ताक्षरित होनी अनिवार्य है तभी काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने दिया जायेगा। अधिभार अंकों के लिये प्रमाण–पत्रों के प्रारूप आवेदन पत्र पर संलग्न हैं। स्थानान्तरण तथा प्रवजन प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी प्रवेश के समय लाना आवश्यक है, अन्यथा प्रवेश देय नहीं होगा।

6.17 बी0एड0 कक्षा में प्रवेश के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किया जाये कि अभ्यर्थी बी0एड0 प्रशिक्षण के लिये पूर्णतः स्वस्थ्य है। प्रवेश के बाद प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

6.18 बी0एड0 प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी जानकारी के लिये अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण विवरण देने पर ही विश्वविद्यालय कार्यालय उत्तर दे सकेगा तथा अपेक्षित कार्यवाही की जा सकती है।

6.19 वाणिज्य के स्नातक को कला समूह में रखा जायेगा। इस प्रकार दो समूह होंगे।

(1) (कला एवं वाणिज्य) कला समूह (2) विज्ञान समूह

परन्तु एप्टीट्यूट टेस्ट–कला एवं वाणिज्य के अभ्यर्थियो के लिये अलग–अलग होगा। अभ्यर्थी केवल उसी समूह (Group) को चुन सकता है जिस समूह (Group) से उसने स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो।

6.20 अभ्यर्थियों के निम्नलिखित वर्ग (Category) एवं उपवर्ग हैं जो कि शासनादेश के अनुसार संशोधित किये गये हैं।

वर्ग (Category)	कोड	उपवर्ग	कोड
सामान्य (Category)	(GEN)	दिव्यांग (Disabled)	PWD
अनुसूचित जाति (SC)	(SC)	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित	FF
अनुसूचित जनजाति (ST)	(ST)	भूतपूर्व सैनिक स्वयं अभ्यर्थी	Ex-S
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	(OBC)	महिला अभ्यर्थी	W

विशेषः—एक अभ्यर्थी केवल एक ही वर्ग चुन सकता है। एक बार वर्ग (Category) को चुनने के उपरान्त अन्य किसी वर्ग में समायोजन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

6.21 प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता के सम्बन्ध में ऑनलाईन आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी के दावे के आधार पर प्रवेश परीक्षा/काउन्सिलिंग करायी जायेगी, किसी भी प्रकार की गलती अथवा भ्रामक जानकारी आवेदन पत्र में भरने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वंय का होगा।

6.22 प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करने के उपरान्त विभिन्न सम्बद्व संस्थानों में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग का आयोजन किया जायेगा। काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की भी जाँच की जायेगी।

6.23 बी0एड0 संस्थानों की मय आवंटित सीटों की सूची

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में सत्र 2026—28 में बी0एड0 कक्षाओं हेतु महाविद्यालय एवं संस्थानों की सूची

सबद्ध निजी संस्थानों की सूची

क0स0	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	कुल सीट
1	जगन्नाथ विश्वा कालेज ऑफ एजूकेशन, डोईवाला।	100
2	आर्यन कालेज ऑफ एजूकेशन, रूडकी, हरिद्वार।	100
3	अरोमा गर्ल्स कालेज, नियर पतंजलि, हरिद्वार।	100
4	सनराईज एकेडमी मैनेजमेन्ट सोसायटी, रायपुर रोड, देहरादून।	100
5	डी0डी0 इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, देहरादून।	100
6	पिट्स बी0एड0 कालेज, मानपुर, उत्तरकाशी।	100
7	एस0बी0 कालेज ऑफ एजूकेशन, विकासनगर, देहरादून।	100
8	चौ0 भरत सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन, हरिद्वार।	100
9	हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलोजी, जिलासू, लंगासू, चमोली।	100
10	हरीशचन्द्र रामकली बी0एड0 कालेज, लक्सर, हरिद्वार।	100
11	श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइंस एण्ड टैक्नोलोजी, प्रेमनगर देहरादून।	100
12	आशा एकेडमी, हरिद्वार।	100
13	हर्ष विद्या मन्दिर कालेज ऑफ एजूकेशन, रायसी, हरिद्वार।	100
14	एस0जी0बी0जी0 मैमोरियल कालेज ऑफ एजूकेशन, देवाल, चमोली।	100
15	बी0एस0एम0 वूमेन बी0एड0 कालेज, रूडकी, हरिद्वार।	100
16	रूडकी कालेज ऑफ एजूकेशन, रूडकी, हरिद्वार।	100
17	निम्बस स्कूल ऑफ एजूकेशन, सुद्धोवाला, देहरादून।	100
18	नॉर्दन इण्डिया कालेज ऑफ एजूकेशन, हरिद्वार।	100
19	संस्कृति इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, रूडकी।	100
20	बीहाईव कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलोजी, देहरादून।	100
21	इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव स्टडीज एण्ड डेवल्पमेंट, शिकारपुर, जिला— हरिद्वार।	100
22	विशम्बर सहाय बी0एड0 इंस्टीट्यूट,देहरादून रोड, रूड़की।	100

एम0एड0

क0स0	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	कुल सीट
01	श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइंस एण्ड टैक्नोलोजी, प्रेमनगर देहरादून।	**50**

बी0एड0 राजकीय/अशासकीय महाविद्यालय

क0स0	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	राजकीय	स्ववित्त पोषित	कुल सीटें
1	वी0एस0के0एच0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर, देहरादून।	-	50	50
2	राम चन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी।	-	50	50
3	डॉ0 शिवानन्द नौटियाल राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल, पौडी।	-	50	50
4	डॉ0 पी0द0ब0हि0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार।	50	50	100
5	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थान सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय नैनीडांडा, पौडी।	-	50	50
6	भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल, पौडी।	-	50	50
7	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्तमुनी।	-	50	50
8	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर।	50	50	100
9	के0एल0डी0ए0वी0 (पी0जी0) कालेज, रूडकी, हरिद्वार।	50	-	50

कुमाऊँ विश्वविद्यालय में सत्र 2026–28 में बी0एड0 कक्षाओं हेतु महाविद्यालयों एवं संस्थानों की सूची

बी0एड0 राजकीय/अशासकीय महाविद्यालय

क0 स0	परिसर/महाविद्यालय/संस्थान का नाम	सीट का प्रकार		कुल सीट
		राजकीय	स्ववित्त पोषित	
1	एम0बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी	50	50	100
2	लाल बहादुर शास्त्री, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्दूचौड, नैनीताल	50	-	50
3	पी0एन0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर	-	50	50
4	हेमवती नन्दन बहुगुणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,खटीमा	-	50	50
5	राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर	-	50	50
6	सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर	-	50	50

सबद्ध निजी संस्थानों की सूची

1	इन्सपरेशन कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन , पॉलशीट, काठगोदाम, नैनीताल	100
2	जय अरिहन्त एकेडमी इन्स्टीट्यूट, अरिहन्त एजुकेशनल पार्क, हल्दूचौड, हल्द्वानी	100
3	जय अरिहन्त कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, हल्दूचौड, हल्द्वानी	100
4	मरियम इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज एण्ड एलाईड कोर्सेज, बरेली रोड हल्द्वानी	100
5	पॉल कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, आर0टी0ओ0 रोड, कुसुमखेडा, हल्द्वानी	100
6	हरमन माइनर डिग्री कॉलेज, भीमताल	100
7	स्वामी विवेकानन्द प्राईवेट कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, किशनपुर गोलापार, हल्द्वानी, नैनीताल	100
8	ट्रिनिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफशनल स्टडीज, हल्द्वानी	100
9	अलकैमिस्ट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खेतलसण्डा, खाम, खटीमा	100
10	बजाज कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, चीनीमिल रोड गदरपुर	100
11	चन्द्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर	50
12	डी0पी0एस0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिचपुरी फार्म बाजपुर	100
13	देवभूमी इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, कच्ची खमरिया, लालपुर रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर	100
14	डा0 सुशिला तिवारी बी0एड0 कालेज, चिंटी माजरा, सीतारगंज (ऊधम सिंह नगर)	100
15	द्रोण कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, दिनेशपुर रोड, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)	50
16	द्रोण कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, दिनेशपुर रोड, कानपुर इस्ट, तहसील गदरपुर, रूद्रपुर	100
17	हरिदेव सिंह स्मारक कॉलेज जसपुरऊधम सिंह नगर	100
18	एल0बी0एस0एस0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महुआ डाबरा, जसपुर,ऊधम सिंह नगर	100

19	लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिचपुरी, बाजपुरऊधम सिंह नगर	100
20	मयंक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिचपुरी, बाजपुरऊधम सिंह नगर	100
21	पी0डी0जी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिचपुरी फार्म, बाजपुर ऊधम सिंह नगर	100
22	पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, झनकट, खटीमा ऊधम सिंह नगर	100
23	आर0एल0एस0 मेमोरियल डिग्री कॉलेज, किशनपुर जसपुरऊधम सिंह नगर	100
24	एस0डी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिचपुरी बाजपुरऊधम सिंह नगर	100
25	सरस्वती इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, गदरपूर रोड, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)	200
26	श्रीगुरू नानक डिग्री कॉलेज, प्रीत बिहार रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर	100
27	श्री गुरू नानक देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता साहिब, ऊधम सिंहनगर	50
28	केशव सूर्य मुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शक्तिफार्म सितारगंज,ऊधम सिंह नगर	100
29	श्री साई शिक्षण संस्थान, महुआ डाबर, जसपुर,ऊधम सिंह नगर	100
30	श्रीराम इन्स्टीट्यूट मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी काशीपुर,ऊधम सिंह नगर	100
31	सूरजमल अग्रवाल प्राइवेट कन्या महाविद्यालय, बी0एड0 कॉलेज, किच्छा,ऊधम सिंह नगर	100
32	काशीपुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महुआ खेडा गंज काशीपुर,ऊधम सिंह नगर	100
33	शहीद कैप्टन डी0के0 खोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दिनेशपुर गदरपुर,ऊधम सिंह नगर	100

एम0एड0

क0स0	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	कुल सीट
01	सरस्वती इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, गदरपूर रोड, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)	**50**

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड में सत्र 2026–28 में बी0एड0 कक्षाओं हेतु महाविद्यालय एवं संस्थानों की सूची

बी0एड0 राजकीय / अशासकीय महाविद्यालय

क्र0 सं0	परिसर / महाविद्यालय / संस्थान का नाम	सीट का प्रकार		कुल सीट
		राजकीय	स्ववित्त पोषित	
1	सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा	50	—	50
2	लक्ष्मण सिंह महर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़	50	—	50
3	कुमाऊँ केसरी पं0 बद्री दत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर	—	50	50
4	स्वामी विवेकानन्द, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, चम्पावत	—	50	50
5	स्व0 श्री जयदत्त वैला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा	—	50	50
6	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग, पिथौरागढ़	—	50	50

सबद्ध निजी संस्थानों की सूची

1	मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चंपावत	—	100	100
2	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चूनाभट्टा रोड़, बनबसा चंपावत	—	100	100

7. अधिमान अंक

7.1 निम्नांकित अधिमान केवल बी0एड0 प्रवेश हेतु अनुमन्य हैं। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अधिमान अंकों के लिये अपने मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों / स्थान में करवाया जाना अनिवार्य होगा। इसी आधार पर अधिमान अंक देय होंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो उसके आवेदन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा / होगी।

7.2 अधिमान अंकों तथा मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया नियमानुसार संपादित की जायेगी।

7.3 अधिमान अंकों का विवरण निम्नानुसार है –

(क) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को –अधिमान केवल एक प्रतियोगिता का देय होगा –

(1) व्यक्तिगत स्पर्धा में अभ्यर्थियों द्वारा–

1.	प्रथम स्थान पाने पर	15 अंक
2.	द्वितीय स्थान पाने पर	10 अंक
3.	तृतीय स्थान पाने पर	05 अंक

(2) टीम स्पर्धा में–

1.	सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम सदस्य होने पर	15 अंक
2.	उपविजेता (रनर्स अप) टीम सदस्य होने पर	10 अंक
3.	प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर	05 अंक

नोट– (1) उपर्युक्त मद संख्या (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत आईटम्स में से केवल एक ही आईटम का लाभ देय होगा अर्थात यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा आईटम में भाग किया है तो उसे एक ही टीम/आईटम का लाभ देय होगा।

(2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन के खेल कूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। किसी भी फेडरेशन एवं किसी अन्य एजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।

(ख) निम्नलिखित मदों में से केवल एक का लाभ देय होगा–

1.	नेशनल कैडेट कोर में ''सी'' प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	15 अंक
2.	नेशनल कैडेट कोर में ''बी'' प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	10 अंक

या

1.	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं दो या अधिक विशेष शिविर में भाग लेने वाले वाले अभ्यर्थियों को	15 अंक
2.	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं एक विशेष शिविर में भाग लने वाले वाले अभ्यर्थियों को	10 अंक
3.	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थियों को	05 अंक

या

1.	राष्ट्रीय सेवा योजना में सी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को	15 अंक
2.	राष्ट्रीय सेवा योजना में बी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को	10 अंक

नोट (1) एन0 एस0 एस0 में भारत सरकार द्वारा संचालित शिविर–प्रमाण पत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय के एन0 एस0 एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत तथा 240 घण्टे के कार्य का प्रमाण पत्रसमन्वयक/प्राचार्य/परिसर निदेशक के द्वारा निर्गत मान्य होंगे।

(2) विशेष शिविर कम से कम 7 से 10 दिनों का होना चाहिए । दस दिवसीय शिविर में तिथि अंकित न होने पर वांछित लाभ देय नही होगा।

या

1. स्काउट्स एवं गाईड्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को — 15 अंक
2. स्काउट्स एवं गाईड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को — 10 अंक
3. स्काउट्स एवं गाईड्स का ध्रुव पद या गुरूपद प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को — 05 अंक

नोटः— उपर्युक्त वर्णित मद (ख) में से केवल एक का लाभ प्रवेशार्थी को देय होगा।

(ग)	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री/पुत्र का पुत्र/अविवाहित पुत्री	15 अंक
(घ)	ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या शासकीय सेवानिवृत प्रतिरक्षा कर्मचारी हो या ऐसे अभ्यर्थी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो	15 अंक
(ड़)	ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी0 ए0 सी0 या बी0 एस0 एफ0 या एस0 एस0 बी0/ आई0 टी0 बी0 पी0/सी0 आर0 पी0 एफ0/होम गार्डस में सेवारत् हो या ऐसे कर्मचारी पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो जो कार्यरत् या सेवानिवृत्त अपंग या सेवारत् रहते हुए मृत हो गए हों	15 अंक

नोटः—बिन्दु (ग) के पात्र प्रवेशार्थी सम्बन्धित कमाडिंग आफीसर/सचिव जिला सैनिक बोर्ड तथा (घ) के पात्र प्रवेशार्थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वांछित लाभ के पात्र होंगे। यदि किसी प्रवेशार्थी के माता/पिता दानों ही इस श्रेणी में आते हैं तो उन्हे केवल 15 अंकों का अधिमान देय होगा। उक्त के मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

(च)	ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता हो	15 अंक

नोट—विधवा प्रवेशार्थी को पब्लिक नोटरी द्वारा निर्गत शपथपत्र तथा तलाक एवं परित्यक्ता महिला को सम्बन्धित कोर्ट का मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नोटः— (1) यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त (क) से (छ) तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उस दशा में अधिकतम 25 अंक ही श्रेष्ठता सूची में जोड़े जायेंगे।

(2) स्वयं अभ्यर्थी या माता/पिता के एक ही विभाग में कार्यरत होने पर केवल एक ही व्यक्ति के प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभार अंक देय होंगे। अधिकृत एवं कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त अथवा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, तथा ऐसे प्रमाण पत्रों में अधिभार अंक देय नहीं होंगे। प्रमाण पत्र जो नियमों एवं मानकों के अनुसार नहीं होगे उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

8 **प्रवेश परीक्षा शुल्कः—**प्रवेश—परीक्षा शुल्कः ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु **सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु**शुल्क रू0 1675.00 (एक हजार छः सौ पचहत्तर मात्र) एवं **अनु0जाति/अनु0 जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु**शुल्क रू0 1150.00 (एक हजार एक सौ पचास मात्र) है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत शुल्क का भुगतान किया जाना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को समर्थ पोर्टल की वैबसाइट **https://ukentrance.samarth.edu.in** में दिये लिंक Home Page में जाकर रजिस्ट्रेशन के पश्चात् करना होगा।

काउंसलिंग शुल्क **सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु**शुल्क रू0 785.00 सात सौ पिचासी मात्र) एवं **अनु0जाति/अनु0 जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु**शुल्क रू0 470.00 चार सौ सत्तर मात्र) है, जो कि काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व आनलाइन जमा की जाएगी।

आवेदन शुल्क डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नैट बैंकिग, क्यू0आर0 कोड तथा यू0पी0आई0 के माध्यम से जमा किया जायेगा। आवेदन—शुल्क किसी भी दशा में वापस किया जाना सम्भव नहीं होगा।

9. प्रवेश—परीक्षा हेतु आवेदनः सत्र 2026—28 की प्रवेश—परीक्षा हेतु आवेदन—पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर प्रिंटआउट (Printout) को अग्रिम कार्यवाही हेतु अपनेपास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखेंगे। **व्यक्तिगत एवं डाक द्वारा भेजे गए आवेदन—पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

10. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र भरनाः

10.1 प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र भरने हेतु अभ्यर्थी को समर्थ पोर्टल की वैबसाइट https://ukentrance.samarth.edu.in में दिये गये लिंक के होम पेज(home page) में आनॅलाइन जाना पड़ेगा।

10.2. होम पेज में आवेदन–पत्र भरने हेतु दिए गए निर्देश निम्नानुसार हैं –

10.2.1. अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन–पत्र भरने से पूर्व इस विवरणिका को अनिवार्य रूप से पढ़ लें तथा अपनी अर्हता के बारे में सुनिश्चित हो जाएं। एक बार प्रवेश –परीक्षा शुल्क जमा हो जाने पर उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा।

10.2.2. ऑनलाइन आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियों को भरना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र में अपने स्वयं के मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल पते को अवश्य भरें। इन दोनों को प्रवेश–प्रक्रिया सम्पादित होने तक चालू स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

10.2.3 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र को सभी दृष्टिकोण से पूरा करना है तथा अपनापासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर को वैबसाइट के सम्बन्धित बॉक्स में अपलोड करने हैं।

10.2.4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करने के पश्चात् सभी प्रविष्टियों की सावधानी पूर्वक जाँच कर लें, यदि कोई त्रुटि होतो उसे Edit Application द्वारा सुधार कर शुल्क जमा करें। एक बार शुल्क जमा किए जाने के पश्चात इन प्रविष्टियों में बदलाव नहीं किया जा सकता।

10.2.5. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने, हस्ताक्षर व फोटोग्राफ अपलाडे करने के पश्चातसम्पूर्ण जानकारी को Submit करने के पश्चात Confirm करके अभ्यर्थियों को अपने आवेदन–पत्र का प्रिंट–आउट (printout) लेना अनिवार्य है, जिसकी प्रति उनके द्वाराभविष्य में पत्राचार हेतु सुरक्षित रखा जाएगा।

Main Steps to apply online
- Apply for Online Registration
- Fill Online Application Form
- Pay Examination Fee
- Download fee Recipt
- Download Final Application

10.3. ऑनलाइन आवेदन–पत्र के पंजीयन की प्रक्रिया में निम्न पद (Steps) निहित हैं–
चरण– 1: उचित पाठ्यक्रम Bachelor of Education का चयन करें।

चरण – 2: पाठ्यक्रम (बी0एड0) का चयन करें।

चरण – 3: निर्देशिका को वैबसाइट से डाउनलोड करना तथा समस्त नियमों का अध्ययन करें।

चरण –4: अभ्यर्थी को सर्वप्रथम वैबसाइट के होम पेज पर Apply Online द्वारा नये पजीकरण हेतु नाम, मोबाइल नम्बर एवं स्वय का ई–मेल का पता तथा स्वयं द्वारा चुना गया पासवर्ड भर पंजीकरण (Registration) कराना है।

पंजीकरण (Registration) करते समय अभ्यर्थी यह भली–भाँति जाँच ले कि उसके द्वारा दी गईजानकारी सही है अथवा नहीं पंजीकरण (Registration) करने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर्ड ई–मेल व पासवर्ड के द्वारा वैबसाईट पर लॉगईन करना होगा।

चरण –5: लॉग–इन करने के पश्चात् पंजीकरण (Registration Tab) टैब में जाकर दिये गये निर्देशोका भॅली–भाँति अध्ययन करना होगा इसके पश्चात् दी गयी शर्तों से सन्तुष्ट होने पर आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र, वर्ग, पाठ्यक्रम, श्रेणी, उप–श्रेणी, पता, अर्हता

सम्बन्धी जानकारी भरी जानी है तत्पश्चात अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ तथाहस्ताक्षर अपलोड करना तथा भरे गये आवेदन पत्र को भली–भाँति जाँच के पश्चात Submit करना होगा।

आवेदन पत्र को Submit करने के उपरान्त वैबसाइट पर दिए गए Pay Fee लिंक की सहायतासे शुल्क जमा करना होगा। आवेदन–शुल्क **सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु** 1675.00 (एक हजार छः सौ पचहत्तर मात्र) एवं **अनु0जाति/अनु0 जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु** 1150.00 (एक हजार एक सौ पचास मात्र) जमा करेगा, जिस हेतु उसे ऑनलाईन शुल्क जमा करने की सुविधा उपलब्ध की जा रही है, जिसके माध्यम से वह शुल्क जमा करने हेतु इण्टरनैट बैंकिंग अथवा क्रेडिट/डैबिट कार्ड का उपयागे कर सकता है। शुल्क जमा किये जाने की रसीदको अभ्यर्थी प्रिंट कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रख ले। शुल्क जमा करने से पूर्व आप Update Application की सहायता से आवदेन पत्र में कितनी ही बार परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु एक बार शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः कृपया शुल्क जमा करने से पूर्व आवेदन पत्र की भली–भाँति जाँच कर लें तद्‌ोपरान्त ही शुल्क जमा करें।

11. प्रवेश–परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र प्राप्त करना:

11.1: निर्धारित केन्द्रों में आयोजित होने वाली प्रवेश–परीक्षा में अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गतप्रवेश–पत्र के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास आधिकारिक प्रवेश–पत्र नहीं होंगे वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। प्रवेश परीक्षा की तिथि को प्रवेशपत्र के साथ फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

11.2: प्रत्येक अभ्यर्थी अपना प्रवेश –पत्र समर्थ पोर्टल की वैबसाईट https://ukentrance.samarth.edu.in में दिये गये लिंक के Home Page से Admit Card लिंक के द्वारा अपनी पंजीकरण संख्या काउपयोग करते हुए प्रिन्टकर सकता है। **अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र वैबसाइट के माध्यम से ही प्राप्त होंगे तथाप्रवेश–पत्रको डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।**

12. परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं प्रवेश/काउन्सलिंग: प्रवेश–परीक्षा में प्राप्तांकों एवं देय अधिमान तथा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की प्रारम्भिक जाँच होने के पश्चात प्रवेश–परीक्षा का परिणाम व वरीयता सूची समर्थ पोर्टल की वैबसाइट https://ukentrance.samarth.edu.in के माध्यम से घोषित किए जाएंगे तथा सम्बन्धित सूचना को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किया जाएगा।

12.1 विश्वविद्यालय में सचांलित बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांको, अधिमान अंको व आरक्षण संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच (Verification) के आधार पर वरीयता सूची निर्मितकी जाएगी तथा इस वरियता सूची के आधार पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन काउन्सिलिंग के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। बी0एड0 प्रवेश परीक्षा परिणाम को समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वैबसाइट https://ukentrance.samarth.edu.in पर देखा जा सकता है। आवश्यक होने पर परीक्षा–परिणाम घोषित होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित की जा सकती है।

नोट - प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु संस्थानों की सूची वरीयता के आधार पर काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से चयनित करेंगे जिस हेतु उन्हे पुनः पोर्टल के माध्यम से नियत शुल्क जमा कर नियत प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। तत्पश्चात मेरिट के आधार पर उन्हे संस्थान आवंटित किए जाएंगे।

काउन्सलिंग शुल्क का विवरण निम्नानुसार होगा–

- सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु – रू0 785.00/–
- अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु – रू0 470.00/–

12.2 प्रवेश हेतु चयनित प्रवेशार्थियों को निर्धारित अवधि के अन्दर परिसर में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर प्रवेश न लेने वाले प्रवेशार्थी का दावा समाप्त समझा जाएगातथा उसके/उनके बाद के अभ्यर्थी को (प्रतीक्षा सूची से) प्रवेश दे दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश की सूचना समर्थ पोर्टल की वैबसाइट

https://ukentrance.samarth.edu.in पर दी जाएगी। विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रवेशार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

12.3 प्रमाण पत्रों की जाँच– प्रवेश के समय निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियांप्रस्तुत करना अनिवार्य है –

अ– हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा अंक पत्र/प्रमाण पत्र
ब– इण्टरमीडिएट अंक पत्र/प्रमाण पत्र
स– स्नातक/स्नातकोत्तर/अथवा अन्य अर्हता परीक्षा की अंक तालिका
द– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा)
य – क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र
र– प्रिटं –आउट (printout) किया गया आवेदन पत्र समस्त प्रमाणपत्रों/ अधिभार अंक प्रमाणपत्रों एव आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति।
ल– चिकित्सा प्रमाण पत्र (मूल रूप में)।

13. अन्य निर्देशः

13.1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

13.2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य पात्रता के आधार पर स्वयं का आंकलन कर सही/सत्य एवं स्पष्ट रूप से भरें। मूल प्रमाण पत्र प्रमाण पत्रों की जाँच तथा प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी सूचना के अपूर्ण/असत्य पाए जाने पर प्रवेशार्थी का दावा निरस्त किया जा सकता है अथवाप्रविष्ट परीक्षार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं को ही अन्तिम माना जाएगा।

13.3 प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुरूप कोई साक्ष्य/प्रमाण न दिये जाने की स्थिति में यदि उसके प्रवेश का दावा नही बनता है तो प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित नियमो के विपरीत यदि कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे परीक्षा शुल्क वापस प्राप्तकरने का अधिकार नहीं होगा और न उक्त शुल्क वापस किया जायेगा। केवल पात्र प्रवेशार्थी ही आवेदन करें। अपात्र प्रवेशार्थी का प्रवेश/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

13.4 बी0एड0 प्रवेश परीक्षा संबंधी किसी भी जानकारी के लिये विश्वविद्यालय समन्वयक प्रो0 प्रवीण सिंह बिष्ट मो0 नं0–9412092013, सहायक समन्वयक प्रो0 रिजवाना सिद्दकी मो0 नं0–7060490277 एवं सहायक समन्वयक डा0 देवेन्द्र सिंह धामी मो0 नं0–9997226767 तथा समर्थ पोर्टल में परीक्षा फार्म से संबंधित किसी भी समस्या हेतु डा0 मनोज बिष्ट, विश्वविद्यालय समर्थ नोडल को मो0नं0–9412107376 पर संपर्क करेंगे। शुल्क संबंधी किसी भी जानकारी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा देहरादून के प्रबंधक से संपर्क स्थापित करें।

13.5 ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा घोषित बी0एड0 प्रवेश परीक्षा के परीक्षा परिणाम में किसी भी प्रकार की आप्पति हो वो परीक्षा परिणाम घोषित होने के तीन दिनों के भीतर अपना प्रत्यावेदन आनलाईन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

13.6 बी0एड0 प्रवेश परीक्षा सत्र 2026–28एवं प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी वाद की स्थिति में वाद का परिक्षेत्र मुख्यालय, अल्मोड़ा होगा।

अति महत्वपूर्ण- **परीक्षा एवं प्रवेश संदर्भित समस्त सूचनाओं को समय समय पर विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर अपडेट किया जाएगा । अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य माध्यम से सूचना प्रदान नहीं की जाएगी । अतः समस्त अभ्यर्थियों से निवेदन है की वे समय – समय पर विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.ssju.ac.in से सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित करें।**

कुलसचिव

(प्रमाण–पत्रों के प्रारूप बी0एड0 हेतु)

प्रमाण–पत्र I (अनुसूचित जाति/जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..आत्मज/आत्मजा श्री.. निवासी .... तहसील...जनपद... उत्तराखण्ड राज्य के निवासी हैं तथा संशोधित शासनादेश 1956 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

दिनांक..............................

हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी/तहसीलदार

प्रमाण–पत्र **II** (उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)–2001 दिनांक 18–7–2001 के अनुसार अन्य पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण–पत्र)
(शासनादेश में उल्लिखित पिछड़ी जातियों को ही लाभ देय होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. पुत्र/पुत्री श्री...निवासी ग्राम..तहसील..................................... जिला.......................................उत्तराखण्ड राज्य की (अन्य पिछड़ी जाति का नाम).........................की जाति के व्यक्ति हैं यह जाति उत्तर प्रदेश लाके सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिएआरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...उक्त अधिनियम1994 की अनुसूची–2 (अधिसूचना संख्या 22/16/92 का0–2/1995 टी0सी0 दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारायथा संशोधित) से अच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..तथा इनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम...तहसील...................................जिला........................मेंसामान्यतया रहता है। यह प्रमाण–पत्रराजस्व विभाग निरीक्षक श्री...की जाचं आख्या................पर जारी किया गया है।

स्थान..........................	प्रतिहस्ताक्षरित	हस्ताक्षर
दिनांक........................	उपजिलाधिकारी	तहसीलदार
	सील सहित	सील सहित

नोटः– अन्य पिछड़ी जाति का लाभ केवल उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)2001 दिनाकं 18–7–2001 में उल्लिखित एव शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित अन्यपिछड़े वर्ग की जातियों को ही अनुमन्य होगा।

तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र उपजिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र IIIआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण–पत्र निर्गत करेन वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या **64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019,** दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र संख्या......................................वर्ष.........................हेतु मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. पुत्र/पत्नी/पुत्री..ग्राम/मुहल्ला.. .पोस्ट ऑफिस..जिला..पिन कोड...................... उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी है, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार के सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष ....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक रू0 8.00(रूपये आठ लाख) से कम है ओर इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है–

(i) कृषि भूमि 05 एकड़ या उससे अधिक, या

(ii) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक या

(iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड या

(iV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..जो कि..जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं हैं।

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साईज का प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम...

पदनाम..

प्रमाण–पत्र IV(दिव्यागं अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0...आत्मज/आत्मजा श्री.. निवासी .... तहसील..जनपद.. उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांग की श्रेणी में आते हुए चर्मरोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी स्थिति में व्याधि से ग्रस्त नही हैं जिससे बच्चों में फैलने या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हो। अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है।

दिनांक...............................

हस्ताक्षर सील सहित
जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी

नोटः– न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग होने का CMO द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन न करें।

प्रमाण–पत्र V(प्रतिरक्षा कर्मचारी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि ....श्री / श्रीमती / कु0... आत्मज / आत्मजा श्री.. प्रतिरक्षा कर्मचारी (पद) .... पर कार्य कर रहे हैं / कार्य किया / ससम्मान सेवानिवृत्त हुये / उनकी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी थी / वह अपंग सेवानिवृत्त हो गये थे तथा श्री / श्रीमती / कु0 ....इनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी हैं।

दिनांक...............................

हस्ताक्षर सील सहित
ऑफिसर कमाण्डेन्ट / सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

प्रमाण–पत्र VI (अभ्यर्थी स्वंय भूतपूर्व सैनिक होने पर)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..आत्मज/आत्मजा श्री..भतूपूर्व सैनिक ने..के पद पर कार्य किया/ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक..............................

हस्ताक्षर सील सहित
ऑफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोड

प्रमाण–पत्र VII (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..आत्मज/आत्मजा श्री..शासन के आलेखानुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं/थे तथा श्री/श्रीमती/कु0...इनके पुत्र/पुत्री/पुत्र के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री हैं।

दिनांक.....................................

हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी

नोटः– प्रमाण–पत्र वर्तमान समय का होना आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र VIII (विधवा या तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती...आत्मज/आत्मजा श्री... एक विधवा/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला हैं, इनके पति श्री ....की मृत्यु हो गयी/तलाक/परित्यक्ता दिनांक ....को कर दिया गया है।

दिनांक....................................

हस्ताक्षर सील सहित
उपजिलाधिकारी

नोटः– कानूनी प्रमाण–पत्र की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक है।यह प्रमाणित किया जाता है कि

प्रमाण–पत्र **IX** (पुलिस / पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 / एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0 के स्वय अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती..आत्मज / आत्मजा श्री.... ....विभाग.......................................पद..पर सक्रिय पूर्णकालिक स्थाई रूप से सेवारत हैं / ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक...............................

हस्ताक्षर सील सहित
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रीजनल कमाण्डर
पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 / एस0एस0बी0 / आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0

नोटः– होमगार्ड के लिए प्रमाण–पत्र केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होंगे।